IAS/IPS EXAM SPECIAL NOTES

Civil Service Exam

भारत की शासन प्रणाली नोट्स

दोस्तों यह जिंदगी है हार-जीत के लिए पैदा नहीं हुए हो, कुछ अच्छा कार्य के लिए भगवान ने आपको भेजा है व्यर्थ न करें यह जीवन।

Daily Download More PDF
Google- www.akashpal.com

सफलता आपकी, साथ हमारा

Dear Friends, यदि आपको किसी भी परीक्षा के लिए Subject Wised Coaching के Handwriting Notes की आवश्यकता हो या Previous Year Paper की आवश्यकता हो तो हमें वाट्सएप कर सकते है आपको तत्काल Handwriting नोट्स PDF Format में उपलब्ध कराये जाएंगे

Contact Us- 8887120469

WhatsApp- 7275751297

Scanned with CamScanner

रामबाण Notes

UPSC (IAS/IPS) & State PCS

"मौका Hard Work का नही Smart Work का है"

'दुनिया मे 10% ऐसे लोग है जो अपने सपने पूरे करते है उन 10% लोगो मे आपकी गणना होनी चाहिए'

✱ History

- प्राचीन भारत का इतिहास
- मध्यकालीन भारत का इतिहास
- आधुनिक भारत का इतिहास
- NCERT Based history Notes (Class 6th to 12th)
- विश्व का इतिहास
- प्राचीन से वर्तमान तक सभी महत्वपूर्ण घटनाएं
- Spectrum History Notes
- आजादी के बाद भारत का परिदृश्य

✱ Geography

- भारत का भूगोल
- विश्व का भूगोल
- भारत का भौतिक भूगोल
- NCERT Based Geography Notes (Class 6th to 10th)
- मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

✱ Polity

- भारतीय राज्यव्यवस्था
- भारतीय शासन
- NCERT Based Politics Notes (Class 6th to 10th)

✱ Economics

- भारत की अर्थव्यवस्था
- विश्व की आर्थिक स्थिति
- आर्थिक सर्वेक्षण व सिद्धांत
- बजट का आवंटन व आंकड़े
- प्रमुख राज्यो का आर्थिक बजट
- NCERT Based Economy Notes (Class 11th and 12th)

✱ Environment

- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र
- पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण दिवस व कानून
- पर्यावरण संबंधित सम्मेलन, सूचकांक व पुरस्कार
- जैव विविधता
- जनसंख्या नगरीकरण व सिद्धांत

✱ Science

- सामान्य विज्ञान NCERT Based Notes (Class 9th and 10th)
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Sci & Tecno.
- सामाजिक विज्ञान NCERT Based Notes (Class 6th to 10th)

✱ Current Affairs

- राष्ट्रीय घटनाक्रम (पिछले 12 महीनो का)
- खेल घटनाक्रम (पिछले दो साल का)
- अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम (पिछले 6 महीनो का)
- प्रमुख राज्यो की समसामयिकी

✱ Imp. Topic

- भारतीय समाज (Indian Society)
- भारत की आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relation)
- जल वायु परिवर्तन (Climate Change)
- भारतीय कला एवं संस्कृति (Arts & Culture)
- मासिक पत्रिकाएं (योजना व कुरुक्षेत्र)
- राष्ट्रीय आंदोलन व संवैधानिक विकास
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

→ संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स - 1000 ₹ (PDF Format)

Note- दोस्तो Notes बनाने में समय लगता है इसीलिए फ्री नोट्स उपलब्ध कराना संभव नही, भारत में UPSC के लिए मशहूर कोचिंग के Notes का अध्ययन कर यह ब्रह्मास्त्र नोट्स तैयार किया गया है, संपूर्ण नोट्स पढने के पश्चात इतना दावा है कि परीक्षा मे एक भी प्रश्न इस नोट्स से बाहर नही आयेगा

Payment Process-

- Phone Pe- 8887120469
- Google Pay- 8887120469
- Paytm- 9839600351
- UPI- SKYEDU@centralbank
- Account No.- 3201090371
- Account Name- VIKAS PAL
- IFSC Code- CBIN0283930
- Bank Name- Central Bank of India

→ Payment करने के पश्चात Screent Shot (Payment Slip) हमें 8887120469 पर वाट्सएप करें

Notes की खासियत-

- स्वच्छ एवं सुंदर हस्तलेखन
- प्रत्येक पेज की सुव्यवस्थित ढंग से Scanning
- सरल भाषा व Basic Concept का मिश्रण
- बेहतरीन पुस्तके व कोचिंग नोट्स को अध्ययन कर तैयार किया

Note- घर बैठे तैयारी करने का बेहतरीन मौका, इस मंहगाई के दौर में बहुत कम मूल्य मे विश्वास के साथ हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा "अभी नही तो फिर कभी नही"

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

अनुसूची	विषय
पहली अनुसूची	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
दूसरी अनुसूची	राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्य सभा सभापति/उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो और CAG के वेतन और भत्ते
तीसरी अनुसूची	विभिन्न उम्मीदवारो द्वारा ली जाने वाली शपथ
चौथी अनुसूची	राज्यो तथा केंद्र शासित प्रदेशो के लिए राज्यसभा मे सीटो का आवंटन
पाचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित जनजातियो के प्रशासन और नियंत्रण के बारे मे उपबंध
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यो के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे मे उपबंध
सातवी अनुसूची	विषयो के वितरण से संबंधित सूची 1. संघ सूची 2. राज्य सची 3. समवर्ती सूची
आठवी अनुसूची	सविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ (मूल-14 फिलहाल-22)
नवी अनुसूची	कुछ भूमि सुधार सबंधी अधिनियम का विधिमान्यकरण
दसवी अनुसूची	दल-बदल अधिनियम
ग्यारहवी अनुसूची	पचांयतो की शक्तिया, प्राधिकार व जिम्मेदारी - 29 विषय
बारहवी अनुसूची	नगरपालिका की शक्तिया, प्राधिकार व जिम्मेदारी - 18 विषय

www.akashpal.com

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद 1 - 'भारत अर्थात इंडिया राज्यो का संघ होगा'

राज्यो का संघ कहे जाने का तात्पर्य है कि यह संघ किसी समझौते या सौदेबाजी का परिणाम नही है बल्कि यह भारतीय जनता द्वारा चुने गये संविधान सभा के निर्णय का परिणाम है। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राज्य स्वेच्छा से संघ से पृथक नही हो सकता है और न ही अपनी इच्छा से संविधान की प्रथम अनुसूची मे निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र मे कोई परिवर्तन कर सकता है।

अनुच्छेद 2 - 'नये राज्यो का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान'

अनुच्छेद 2 ससंद को दो शक्तिया प्रदान करता है-

i). नये राज्य को भारत के संघ मे शामिल करने की शक्ति (जो पहले से अस्तित्व मे है)

ii). नये राज्यो को गठन करने की शक्ति (जो अस्तित्व मे नही है)

www.akashpal.com

अनुच्छेद 3 - 'नये राज्यो की स्थापना तथा मौजूदा राज्यो के क्षेत्रफल, सीमा तथा नाम मे परिवर्तन'

इसके तहत संविधान, ससंद को यह अधिकार देता है कि वह नये राज्य बनाने, उसमे परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा मे परिवर्तन के सबंध मे बिना राज्यो की अनुमति से कदम उठा सकती है। उपरोक्त परिवर्तन से सबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मजूंरी के बाद ही ससंद मे पेश किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4 - इसके अनुसार-

उपरोक्त उद्देश्यो के लिए संविधान मे किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नही होगा। अर्थात साधारण बहुमत से नये राज्यो का गठन किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

1. अनुच्छेद-14 → "विधि के समक्ष समता और विधियो का समान संरक्षण"

इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियो के लिए एक समान कानून बनायेगा और उन पर एक समान लागू करेगा।

विधि के समक्ष समता का विचार 'ब्रिटेन' से तथा विधियो के समान संरक्षण को 'अमेरिका' के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 मे प्रदत्त अधिकार नागरिको और विदेशियो दोनो पर लागू होते है। अनुच्छेद 14 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढाँचा माना है जिसे कभी भी समाप्त नही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहा समान एवं असमान के बीच अलग-2 व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नही होता। यह विधि द्वारा व्यक्तियो, वस्तुओ, और लेन-देन के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है।

www.akashpal.com

2. अनुच्छेद-15 → "धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध"

अनुच्छेद 15(1) - राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नही करेगा। (अन्य आधार पर मतभेद हो सकता है)

अनुच्छेद 15(2) - नागरिको के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमे से किसी के आधार पर दुकानो, सार्वजनिक भोजनालयो, होटलो, साधारण तथा जनता के लिए समर्पित कुओ, तालाबो के उपयोग के संबंध मे भेद नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 15(3) - राज्य द्वारा स्त्रियो और बच्चो के लिए विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 15(4) - शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के संबंध मे विशेष प्रावधान (आरक्षण की व्यवस्था)

अनुच्छेद 15(5) - शिक्षण संस्थाओ मे (गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्ति या पदो के आरक्षण की सुविधा यह प्रावधान 93वॉ संशोधन, 2005 के द्वारा शामिल किया गया है। जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रो के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानो (IIT, IIM) मे 27 सीटे आरक्षित की गयी है।

3. अनुच्छेद-16 → "लोक नियोजन के विषय मे अवसर की समानता"

अनुच्छेद 16(1) - राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयो मे सभी नागरिको के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 16(1) और 16(2) लोक नियोजन के विषय पर भारत के सभी नागरिको को अवसर की समानता प्रदान करता है।

Scanned with CamScanner

SKYEDUCATION

यदि आप परीक्षा में वाकई सफल होना चाहते है एक बार हमारा हस्तलिखित नोट्स पढकर परीक्षा हॉल मे जाइये परीक्षा में एक भी प्रश्न हमारी नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा (100% गारंटी) नोट्स बनाने में समय लगता है इसलिए फ्री मे उपलब्ध कराना संभव, परंतु सभी मध्यवर्गीय स्टूडेंट्स के लहजे से नोट्स बहुत कम मूल्य में मूल्य में आपको वाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया जायेगा यदि आप घर नोट्स प्राप्त करना चाहते है तो वह सुविधा भी उपलब्ध है (अतिरिक्त शुल्क लागू)

Our Best Performance-

- Complete Vedio Paid Course (Very Low Price)
- Complete Handwriting Notes (PDF Format)
- Notes Home Delivery Available (Extra Pay Apply)

Online Paid Classes या नोट्स संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो (No. #1 Coaching)
Whatsapp Msg/Call- 8887120469 (4.1 Star Google Rating)

Scanned with CamScanner

महान्यायवादी [Attorney General]

→ संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
→ महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

* नियुक्ति एवं कार्यकाल -

→ महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बना रह सकता है।
→ इसकी नियुक्ति की वही योग्यताए है जो उच्चतम -यायालय के -यायाधीश के रूप मे नियुक्ति के लिए जरूरी है।
→ इसका वेतन उच्चतम -यायालय के -यायाधीश के वेतन के बराबर होता है।

www.akashpal.com

* कार्य एवं शक्तियाँ -

→ भारत सरकार या राष्ट्रपति को विधि सबंधी ऐसे विषयो पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौपे गये हो।
→ यह भारत सरकार की तरफ से भारत के राज्यक्षेत्र मे स्थित किसी भी -यायालय मे सुनवायी का अधिकार रखता है।
→ यह ससंद सदस्य न होते हुए भी ससंद की दोनो सदनो की कार्यवाहियो मे भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है किंतु मत देने का अधिकार नही है। इसके अलावा यह ससंद की समितियो मे सदस्य के रूप मे शामिल होता है और उसकी कार्यवाहियो मे भाग लेता है।
→ अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम -यायालय मे भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
→ अनुच्छेद 105 के तहत अन्य ससंद सदस्यो की भाँति उसकी ससंद या समिति मे कही गयी किसी बात के लिए उसे -यायालय मे उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता।
→ महान्यायवादी को सहयोग देने के लिए 'सालिसीटर जनरल (कानूनी सलाहकार)' का पद सृजित किया गया है।

→ महान्यायवादी आपराधिक मामलो मे निजी तौर पर विधिक सलाह नही दे सकता।
→ यह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नही कर सकता।

Scanned with CamScanner

राज्यसभा की संरचना

* अनुच्छेद 80 - 'राज्यसभा की संरचना'

अधिकतम संख्या - 250 (238 राज्य व संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)

वर्तमान - 245 सदस्य (229 राज्य से + 4 केंद्र शासित प्रदेश से + 12 मनोनीत)

→ राज्यसभा के सदस्यो का निर्वाचन, राज्य विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्यो द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। (अनुच्छेद 80(4))

→ संविधान की चौथी अनुसूची मे राज्यसभा के लिए सीटो के आवंटन का वर्णन किया गया है। (अनुच्छेद 80(2))

→ राज्यसभा मे राज्यो को स्थान का आवंटन 'जनसंख्या के आधार' पर होता है। इसीलिए प्रत्येक राज्य मे अलग-2 सीटे होती है।

→ राष्ट्रपति राज्यसभा मे साहित्य, विज्ञान, कला, समाजसेवा से संबंधित 12 सदस्यो को मनोनीत करता है।

www.akashpal.com

राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता

* अनुच्छेद 84 - 'राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता'

→ वह भारत का नागरिक हो
→ 30 वर्ष आयु हो।
→ वह ससंद द्वारा निर्धारित सभी योग्यता रखता हो।

अयोग्यता (निरर्हताए)

संवैधानिक आधार पर
(राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश पर)
→ यदि वह लाभ का पद धारण करता है।
→ घोषित दिवालिया है

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के आधार पर
(राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश पर)
→ भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो।
→ किसी निगम मे जिसमे सरकार का 25% से अधिक अंश हो, लाभ का पद धारण करता है।

आपराधिक कानून
(उच्चतम न्यायालय द्वारा)

दल-बदल के आधार पर
(संबंधित सदन के अध्यक्ष or सभापति द्वारा)
→ अगर निर्दलीय चुनागया सदस्य किसी दल मे शामिल हो जाता है
→ स्वेच्छा से राजनीतिक दल का त्याग करने पर

Scanned with CamScanner

* उच्च-न्यायालय *

अनुच्छेद 214 - 'राज्यो के लिए उच्च-न्यायालय'

- अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च-न्यायालय होगा। परंतु संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यो एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा HC की स्थापना कर सकती है (7वाँ संशोधन, 1956)
- इस समय भारत मे कुल 25 उच्च-न्यायालय है। [25वाँ - अमरावती (आंध्र प्रदेश)]

अनुच्छेद 216 - 'उच्च-न्यायालय का गठन'

- एक मुख्य-न्यायाधीश + अन्य-न्यायाधीश (जिनको राष्ट्रपति समय-2 पर नियुक्त करे)
- इस प्रकार अलग-2 HC मे -न्यायाधीशो की संख्या भी भिन्न है।

अनुच्छेद 217 - '-न्यायाधीशो की नियुक्ति तथा अर्हता'

नियुक्ति -

- उच्च-न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा SC के मुख्य-न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार-विमर्श के पश्चात की जाती है।
- अन्य-न्यायाधीशो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य-न्यायाधीश, राज्यपाल तथा संबंधित HC के मुख्य-न्यायाधीश के परामर्श से होती है।

योग्यताएँ -

- भारत का नागरिक हो तथा 65 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो।
- HC मे कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

www.akashpal.com

पदावधि -

- 62 वर्ष की आयु तक
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र
- संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 219 - 'शपथ ग्रहण'

- राज्य के राज्यपाल द्वारा

Scanned with CamScanner

[प्रमुख संविधान संशोधन]

संविधान संशोधन	वर्ष	प्रभावित अनुच्छेद + अनुसूची	संशोधित विषय
प्रथम	1951	अनु· 31, 32 तथा नौवी अनुसूची जोडी गयी।	भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को नौवी सूची मे स्थान मौलिक अधिकारो मे समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक हित मे सीमित किया।
तेरहवा	1962	371-A जोड़ा गया	नागालैंड को राज्य का दर्जा एवं विशेष उपबंध
अठारह	1966	-	राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया।
21वाँ	1967	आठवी अनुसूची	सिंधी भाषा शामिल
31वाँ	1973	81, 330, 332	लोकसभा सदस्य संख्या 525 से बढकर 545
36वाँ	1975	371-F जोड़ा गया	सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
39वाँ	1975	-	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती नही दी जा सकती
42वाँ (मिनी संविधान)	1976	प्रस्तावना, 7वी अनुसूची मे - 31 D, 32A, 39A, 43A, 48A, भाग IV A, 51 A, 131 A, 144 A, भाग XIV A जोड़ा गया।	प्रस्तावना मे 3 शब्द (समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, अखंडता) मूल कर्तव्य जोड़ा गया (51 A) निति निदेशक तत्वो की मूल अधिकार पर सर्वोच्चता स्थापित संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। वन, वन्यजीव, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची मे शामिल किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता।
44वाँ	1978	19, 22, 30, 38, 74, 77, 105, 123, 132, 166, 172 19(1)(F) निष्कासित 300A जोड़ा गया	सम्पत्ति का मूल अधिकार समाप्त करके कानूनी अधिकार लोकसभा, विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष (पुनः) आंतरिक अशांति के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति + उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता
52वाँ	1985	10वी अनुसूची जोड़ी गयी	दल-बदल रोकने के लिए प्रावधान
53वाँ	1986	प्रथम अनुसूची	मिजोरम को राज्य का दर्जा (371 G)
55वाँ	1986	प्रथम अनुसूची	अरुणाचल प्रदेश राज्य बना
56वाँ	1987	भाग 22	गोआ को राज्य का दर्जा
61वाँ	1989	-	मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
69वाँ	1991	-	दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा 70 सदस्यो वाली विधान...

www.akashpal.com

Scanned with CamScanner

आवश्यक सूचना 👮‍♀️👮

यह केवल Sample Notes है यदि आप अपने विषय के Complete Notes प्राप्त करना चाहते है तो हमें वाट्सएप कर सकते है दोस्तों नोट्स बनाने में समय लगता हैं इसलिए Free मे उपलब्ध कराना संभव नहीं, बहुत कम मूल्य मे आपको नोट्स वाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे नोट्स मे Handwriting व Content का विशेष ख्याल रखा गया है

यदि आप इच्छुक है तो हमें वाट्सएप कर सकते है

WhatsApp- 8887120469

Scanned with CamScanner

Sky Education

- Daily Newspaper & Current Affairs
- Handwriting Notes & Online Test
- Absolutely Free Material
- आप सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित स्पेशल पीडीएफ फाइल के लिए अभी ज्वाइन

CLICK NOW 👉

SKY EDUCATION

यदि आप हमारे वाट्सएप ग्रुप 'Sky Education' मे ऐड होना चाहते हैं तो हमें Join Me टाइप कर 9696879263 पर वाट्सएप कर दीजिए आपको तत्काल ग्रुप में ऐड कर दिया जायेगा !

- Daily Newspaper & Current Affairs
- Special PDF & Handwriting Notes
- Online Test & Quiz
- All Competition Exam
- Group Fees- 0 ₹

बस आप अपनी मंजिल तक पहुंच जायें यही हमारा लक्ष्य है यही हमारी खुशी है- आकाश पाल